(25)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/1593 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.12.2017 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 132/अपील/16-17.

श्रीमती माया लालचंदानी
पत्नी श्री चन्दर लालचंदानी
द्वारा-ख्यालदास कन्स्ट्रक्शन्स,
निवासी एस. 26, जी.टी.बी. कॉम्पलेक्स,
टी.टी. नगर, भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती रीता सूर्यवंशी
पत्नी श्री एस.एल. सूर्यवंशी
निवासी साढ़े छः नम्बर बसस्टॉप,
हाकर्स कॉर्नर, शिवाजी नगर, भोपाल .....अनावेदक

श्री डी.डी. मेघानी, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक ८/५/१९ को पारित)

आवेदका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल पारित दिनांक 26.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका ने विचारण न्यायालय तहसीलदार, हुजूर वृत्त-4, जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा धामनिया, तहसील हुजूर स्थित भूमि कुल रकबा 9.90 हैक्टेयर उनके

स्वामित्व की भूमि है, जिसका सीमांकन प्रकरण क्रमांक 115/अ512/11-12 से कराये जाने पर खसरा नंबर 342/1 एवं 342/2 के अंशभाग 0.50 हैक्टेयर पर अनावेदिका श्रीमती रीता सूर्यवंशी पत्नी श्री एस.एल. सूर्यवंशी का अप्राधिकृत कब्जा पाया गया है, इस अप्राधिकृत कब्जे को हटाने की याचना की गई। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. 02/अ-70/15-16 दर्ज कर दिनांक 10.10.2014 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन विवादित भूमि से अनावेदिका का अप्राधिकृत कब्जा हटाये जाने के निर्देश दिये गये। विचारण न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 142/अपील/2014-15 दर्ज कर दिनांक 12.04.2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा 26.12.2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील अस्वीकार की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1)अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व तहसील न्यायालय के अभिलेख का विधिक एवं न्यायिक दृष्टि से परिशीलन नहीं किया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसील न्यायालय ने आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अनावेदिका को पक्ष समर्थन हेतु नोटिस प्रेषित किया था, परंतु तामील न होने पर आदेश 5 नियम 20 सी.पी.सी. के प्रावधान के अंतर्गत दैनिक समाचार पत्र में सूचना पत्र का प्रकाशन कराया था। इसके उपरांत भी जब अनावेदिका नियत दिनांक पर तहसील न्यायालय में पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित नहीं हुई थी, तब उनके द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। इस परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष के आधार पर पारित निगरानीअधीन आदेश अवैध होकर निरस्ती योग्य है।

(2)अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीअधीन आदेश पारित करते समय इस बिंदु पर भी विचार नहीं किया कि आवेदिका की द्वितीय अपील पर उन्होंने भी अनावेदिका को पक्ष समर्थन हेतु सूचना पत्र जारी किया था, परंतु सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी वह न्यायालय में

उपस्थित नहीं हुई थी। इस कारण विवश होकर अधीनस्थ न्यायालय को उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करना पड़ी थी। यह विचारणीय है कि जब आयुक्त, भोपाल के द्वारा सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी अनावेदिका उनके न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई थी, तो यह विधिक उपधारण की जा सकती है कि तहसील न्यायालय में भी पेशी जानकारी होने के उपरांत भी अनावेदिका उपस्थित नहीं हुई थी। अनावेदिका के इस आचरण से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व न्यायालय के प्रति उसमें सम्मान की भावना नहीं है। इस बिंदु पर न्यायिक विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगरानीअधीन आदेश अवैध होकर निरस्ती योग्य है।

(3)अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित करने के पूर्व तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के पेज नंबर 2 के दूसरे पैरा का विधिक दृष्टि से परिशीलन नहीं किया, जिसके अवलोकन से यह सिद्ध है कि तहसील न्यायालय ने आदेश पारित करने के पूर्व सीमांकन की रिपोर्ट पर पटवारी के कथन अंकित किये थे। इस प्रकार पटवारी के द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन को प्रमाणित कराया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिये गये निष्कर्ष को ही आधार मानकर एकांगी दृष्टिकोण एवं अवधारणा से निगरानीअधीन आदेश पारित किया है, जो अवैध होकर निरस्ती योग्य है।

(4)अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त ने आदेश पारित करते समय इस महत्वपूर्ण विधिक बिंदु पर विचार नहीं किया कि आवेदिका के स्वत्व की भूमि का सीमांकन भोपाल जिले के सर्वोच्च भू-अभिलेख अधिकारी अधीक्षक भू-प्रबंधन जिला भोपाल के द्वारा सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, राजस्व निरीक्षण एवं पटवारी की सहायता से आवेदिका के प्रतिनिधि रतन लालचंदानी एवं अनावेदिका रीता सूर्यवंशी की ओर से उनके पति श्री एस.एल. सूर्यवंशी की उपस्थिति में किया था, जिसमें आवेदिका के स्वत्व की भूमि पर अनावेदिका का अवैध कब्जा पाया गया था। अधीक्षक भू-अभिलेख के प्रतिवेदन से सिद्ध है कि श्री एस.एल. सूर्यवंशी ने स्थल पर प्रस्तुत होकर उनसे यह कहा था कि पहले उनकी भूमि नापी जाये, तब वे सीमांकन से सहमत होंगे। इस पर अधीक्षक भू-अभिलेख ने श्री सूर्यवंशी को सलाह दी थी कि "अपनी भूमि के सीमांकन हेतु कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर आदेश करा लें तो उनकी भूमि का भी सीमांकन किया जायेगा।" अधीक्षक भू-अभिलेख ने सीमांकन पंचनामे में दिनांक 18.03.2012 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि "श्री सूर्यवंशी सीमांकन की कार्यवाही

तक स्थल पर उपस्थित रहे तथा पंचनामा बनाने से पूर्व ही स्थल से चले गये।'' इस प्रकार अनावेदिका को सीमांकन दिनांक 18.03.2012 की जानकारी थी, इसके उपरांत भी उनके द्वारा इस सीमांकन के विरूद्ध राजस्व मण्डल न्यायालय में कोई निगरानी प्रस्तुत नहीं की थी। इससे यह विधिक अवधारणा होती है कि अनावेदिका उस सीमांकन दिनांक 18.03.2012 से सहमत थी, जिसमें आवेदिका के स्वत्व की भूमि में से 0.50 हैक्टेयर पर उसका अवैध कब्जा निकला था। इस विधिक बिंदु पर विचार किये बिना अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त का आदेश अवैध होकर निरस्ती योग्य हैं।

(5)आयुक्त ने निगरानीअधीन आदेश पारित करते समय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का विधिक दृष्टि से परिशीलन नहीं किया, जिसमें उनके द्वारा आवेदिका के स्वत्व की अतिक्रमित भूमि 0.50 हैक्टेयर को विवादित मान्य कर आदेश पारित किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 10.10.2014 के पेज क्र. के 1 एवं पेज क्र. 2 की कण्डिका 2 में ख.क्र. 342/1 एवं 342/2 के अंश भाग 050 हैक्टेयर लिखा होने एवं अन्य स्थान पर 0.50 हैक्टेयर लिखा होना बताते हुए आवेदिका के स्वत्व की अतिक्रमित भूमि को विवादित बताने का निष्कर्ष दिया है। यह निष्कर्ष देने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के अंतिम पेरा का परिशीलननहीं किया, जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट लिखा गया है कि ''आवेदिका श्रीमती माया लालचंदानी के नाम दर्ज भूमि ख. क्र. 342/1 व 342/2 में से अंश रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि पर अनावेदिका रीता सूर्यवंशी का अवैधानिक कब्जा सिद्ध होने से अनावेदक को बेदखल किये जाने व नियमानुसार आवेदक को कब्जा दिये जाने का आदेश पारित किया जाता है।'' इस प्रकार उन्होंने अधीक्षक भू-अभिलेख का प्रतिवेदन दिनांक 18.03.2012 का विधिक परिशीलन नहीं किया, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ''सीमांकन के दौरान यह भी पाया गया कि ख. क्र. 342/1 व 342/2 का रकबा 0.500 हैक्टेयर पर पड़ोसी कृषक रीता सूर्यवंशी द्वारा तार फेसिंग कर अवैध कब्जा किया है।'' इस प्रकार लिपिकीय त्रुटि के कारण यदि तहसील न्यायालय के आदेश में 0.50 हैक्टेयर को किसी स्थान पर 0.05 अंकित कर दिया गया है, तो इसका आशय यह नहीं निकाला जा सकता कि अनावेदिका रीता सूर्यवंशी का सीमांकन में 0.50 हैक्टेयर पर अवैध कब्जा नहीं निकला था या तहसील न्यायालय में अनावेदिका रीता सूर्यवंशी को 0.50 हैक्टेयर से कब्जा हटाने का आदेश नहीं दिया था। इस परिप्रेक्ष्य में

अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैध होकर निरस्ती योग्य था, जिसे यथावत् रखकर अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध निगरानीअधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्ती योग्य है। अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदिका के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन में विधिवत् अनावेदिका का अप्राधिकृत कब्जा पाया गया तथा इसी आधार पर तहसीलदार ने कब्जा हटाने का आदेश पारित किया। अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में जो पता लिखा, उसी पते पर सूचना अखबार में प्रकाशित की गई, फिर भी अनावेदिका अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के द्वारा इस आधार पर कि अनावेदिका को नहीं सुना गया, अपील स्वीकार करने में त्रुटि की गई है। इसलिए अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अत: अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त कर तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की जाती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2017 निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2014 स्थिर रखा जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर